

26/02/26

आदेश

पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार सूरतगढ़ की रिपोर्ट का बदलोऊ  
डिमा। तहसीलदार सूरतगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार तहसील सूरतगढ़  
की जमादारी सन्वत् 2076 ता 79 फत 4MRD के खता सं. 17/59 एवं  
जमादारी सन्वत् 2070 ता 73 फत 3MRD-13 के खता सं. 3/6 में रफालेदार  
का नाम "गोपी पुत्र शिर" के खान पर "गोपीशय पुत्र शिरशय"  
दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। शेष अंक 46/197 (हो)।

GCMS  
2026/93

प्रतिलिपि :- तहसीलदार सूरतगढ़ को रसी  
अनुसार रिपोर्ट देकर करने हेतु  
सेद्विष्ट है।

उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़

  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)

